

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा. ट्रेक) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 143/2006

निर्णय दिनांक : 18.12.2023

लिखमा वगै० बनाम देवकरण वगै०

1. श्रीमती लिखमा पुत्री मालाराम पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी घुमनसर तहसील चिड़ावा व निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
2. मु. कमला पुत्री मालाराम पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी घुमनसर तहसील चिड़ावा व निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
3. श्रीमती सुमित्रा पुत्री मालाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी बेरला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
4. श्रीमती बिरमा पुत्री मालाराम पत्नी मांगीराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं

बनाम

वादीगण

1. देवकरण पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
2. सतवीर पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
3. रामकिशन पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं (दौराने दावा मृत्यु)
 - 3/1 कमला देवी पत्नी स्व. रामकिशन जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
 - 3/2 अजित पुत्र स्व. रामकिशन जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
 - 3/3 मु. बबीता पुत्री स्व. रामकिशन पत्नी मनोज जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं हाल निवासी बेरला तहसील चिड़ावा
 - 3/4 मु. विजेता पुत्री स्व. रामकिशन जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं हाल निवासी बेरला तहसील चिड़ावा
4. अनिल पुत्र मालाराम जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
5. मु. शांति पत्नी प्रभू जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं
6. मु. कोशलया पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री प्रभू जाति जाट निवासी लाडसर तहसील तारानगर जिला चुरू
7. श्रीमती सुवा देवी पत्नी स्व. रामधन जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं (दौराने दावा मृत्यु)
 - 7/1 निहाली देवी पत्नी सुभाष पुत्री स्व. रामधन
 - 7/2 बाली देवी पत्नी हवासिंह पुत्री स्व. रामधन
 - 7/3 फुली देवी पत्नी जगदीश पुत्री स्व. रामधन
- समस्त जातिगण जाट तहसील महापालवास तहसील व जिला झुंझुनूं
8. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामधन
9. रामकुमार पुत्र स्व. रामधन
10. बनवारी पुत्र स्व. रामधन
11. अमीलाल पुत्र स्व. रामधन
12. मु. चंदा पत्नी स्व. जोधाराम
13. राजेश पुत्र स्व. जोधाराम
14. संजय पुत्र स्व. जोधाराम
15. सुनिल पुत्र स्व. जोधाराम
 - समस्त जातिगण जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील झुंझुनूं
16. चुन्नी लाल पुत्र स्व. मूलाराम जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील झुंझुनूं (दौराने दावा मृत्यु)
 - 16/1 पतासी देवी पत्नी स्व. चुन्नीलाल जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील झुंझुनूं
 - 16/2 सुरेश पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील झुंझुनूं
17. गोपाल पुत्र स्व. मूलाराम जाति जाट निवासी भड़ौदा खुर्द तहसील झुंझुनूं
18. शेखावाटी ग्रामिण बैंक इस्लामपुर जरिये प्रबंधक
19. तहसीलदार भू अभिलेख झुंझुनूं
20. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं

दस्तावेज
अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत इस्तकारार हक, विभाजन एवं हुवमइमतनाईदवामी

—: निर्णय :-


वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम भडौंदा खुर्द में दो भाई मूलाराल व मालाराम पैदा हुए दोनो भाईयों व उनकी पत्नीयों का देहान्त हो चुका है। यह है कि मौजा ग्राम भडौंदा खुर्द तहसील झुंझुनूं में गत भूमि खसरा नं. 27 रकबा 29 बिघा 19 बिश्वा, खसरा नं. 155 रकबा 7 बिघा 14 बिश्वा, खसरा नं. 156 रकबा 7 बिघा 1 बिश्वा, खसरा नं. 336 रकबा 9 बिघा 14 बिश्वा, खसरा नं. 337 रकबा 1 बिश्वा, खसरा नं. 338 रकबा 4 बिघा 16 बिश्वा, खसरा नं. 339 रकबा 5 बिघा 8 बिश्वा, खसरा नं. 373 रकबा 6 बिघा 7 बिश्वा कुल कित्ता 8 का कुल रकबा तादादी 71 बिघा रिथत है। उक्त आराजी के हाल भूमि खसरा नं. 106 रकबा 0.94 है, खसरा नं. 106/1467 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 107 रकबा 0.95 है, खसरा नं. 108 रकबा 0.95 है, खसरा नं. 110 रकबा 0.95 है, खसरा नं. 111 रकबा 0.93 है, खसरा नं. 112 रकबा 0.95 है, खसरा नं. 113 रकबा 0.94 है, खसरा नं. 113/1468 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 114 रकबा 0.95 है, खसरा नं. 481 रकबा 0.49 है, खसरा नं. 482 रकबा 0.49 है, खसरा नं. 486 रकबा 0.49 है, खसरा नं. 487 रकबा 0.48 है, खसरा नं. 488 रकबा 1.28 है, खसरा नं. 489 रकबा 0.50 है, खसरा नं. 1029 रकबा 0.51 है, खसरा नं. 1030 रकबा 0.30 है, खसरा नं. 1031 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 1032 रकबा 0.26 है, खसरा नं. 1033 रकबा 0.38 है, खसरा नं. 1034 रकबा 0.18 है, खसरा नं. 1035 रकबा 0.20 है, खसरा नं. 1036 रकबा 0.22 है, खसरा नं. 1037 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 1038 रकबा 0.31 है, खसरा नं. 1039 रकबा 0.20 है, खसरा नं. 1040 रकबा 0.30 है, खसरा नं. 1041 रकबा 0.42 है, खसरा नं. 1042 रकबा 0.20 है, खसरा नं. 1043 रकबा 0.84 है, खसरा नं. 1044 रकबा 0.48 है, खसरा नं. 1045 रकबा 0.23 है, खसरा नं. 1173 रकबा 0.34 है, खसरा नं. 1174 रकबा 0.46 है, खसरा नं. 1175 रकबा 0.81 है, कुल कित्ता 36 का कुल रकबा 17.97 है अवस्थित है। उक्त भूमि पर पहले मूला व माला को टिनेन्ट थे जिसमें प्रत्येक का 1/2 हिस्सा था। मूला के देहान्त के बाद उसके 1/2 हिस्से के खातेदारी राईटस उसके पुत्र रामधन, जोधाराम तथा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुए। रामधन के देहान्त के बाद उसके 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 को प्राप्त हुए तथा जोधाराम के देहान्त के बाद उसके खातेदारी राईटस प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 को प्राप्त हुए। मालाराम के देहान्त के बाद उसके 1/2 हिस्से के खातेदारी उसके विधिवारिसान वादियागण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को प्राप्त हुई। मालाराम के पुत्र प्रभूराम के देहान्त के बाद उसके हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 हैं। इस प्रकार जमीन जैर बहस में वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/18 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से के कोटिनेन्ट हुए जो वर्तमान में काबिज काश्त हैं। वादीगण के पिता मालाराम के देहान्त के बाद राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से बिना विधि वारिसान की जांच किये मालाराम के 1/2 हिस्से की खातेदारी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक मालाराम की पुत्रियों जो वादीगण हैं का नाम खातेदारी में अंकित होन से रह गया। इस कारण वाद दायर करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 के द्वारा जबाब पेश कर प्रतिवादी नं. 3 रामकिशन के 1/10 हिस्से पर रहन होने से न्यायसंगत आदेश फरमाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी नं. 1, 2 व मृतक कमला के वारिसान 3/1 लगायत 3/4 व 4 लगायत 6 व मृतक सुवा देवी के वारिसान 7/1 से 7/3 व 8 लगायत 15 व मृतक पतासी देवी के वारिसान 16/1 से 16/2 व 17 लगायत 20 की तामील सम्यक रूप से होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने साक्ष्य के रूप में अपना चीफ शपथ पत्र बयान चीफ पी डब्ल्यू 1 पेश किया तथा वर्णित तथ्यों की ताकिद में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्श 1 लगायत 9 डाले गये। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा बहस के समर्थन में नजीर पेश की। तदुपरान्त वाद पत्र में व साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रदर्श 1 लगायत 9 व प्रस्तुत नजीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस योग्य अधिवक्ता पर बगौर मनन किया गया। वाद में चाहे गये रिलिफ की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श 1 लगायत 9 से होना स्पष्ट रूप से जाहिर है। उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायालय मत पर न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :-

प्रतिवादीगण
अधिकारी
(राज.)

—: निर्णय :-

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम भड़ौंदा खुर्द में गत भूमि खसरा नं. 27 रकबा 29 बिघा 19 बिश्वा, खसरा नं. 155 रकबा 7 बिघा 14 बिश्वा, खसरा नं. 156 रकबा 7 बिघा 1 बिश्वा, खसरा नं. 336 रकबा 9 बिघा 14 बिश्वा, खसरा नं. 337 रकबा 1 बिश्वा, खसरा नं. 338 रकबा 4 बिघा 16 बिश्वा, खसरा नं. 339 रकबा 5 बिघा 8 बिश्वा, खसरा नं. 373 रकबा 6 बिघा 7 बिश्वा कुल कित्ता 8 का कुल रकबा तादादी 71 बिघा स्थित है। उक्त आराजी के हाल भूमि खसरा नं. 106 रकबा 0.94 है0, खसरा नं. 106/1467 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 107 रकबा 0.95 है0, खसरा नं. 108 रकबा 0.95 है0, खसरा नं. 110 रकबा 0.95 है0, खसरा नं. 111 रकबा 0.93 है0, खसरा नं. 112 रकबा 0.95 है0, खसरा नं. 113 रकबा 0.94 है0, खसरा नं. 113/1468 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 114 रकबा 0.95 है0, खसरा नं. 481 रकबा 0.49 है0, खसरा नं. 482 रकबा 0.49 है0, खसरा नं. 486 रकबा 0.49 है0, खसरा नं. 487 रकबा 0.48 है0, खसरा नं. 488 रकबा 1.28 है0, खसरा नं. 489 रकबा 0.50 है0, खसरा नं. 1029 रकबा 0.51 है0, खसरा नं. 1030 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 1031 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1032 रकबा 0.26 है0, खसरा नं. 1033 रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 1034 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 1035 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1036 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 1037 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1038 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 1039 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1040 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 1041 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 1042 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1043 रकबा 0.84 है0, खसरा नं. 1044 रकबा 0.48 है0, खसरा नं. 1045 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 1173 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 1174 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 1175 रकबा 0.81 है0, कुल कित्ता 36 का कुल रकबा 17.97 है0 में वाद पत्र की धारा 14 (क) के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद पत्र निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।


(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (फा. ट.), झुन्डुनू
झुन्डुनू (राज.)